संख्या-13/2015/ 399 सी0डी0/46-3-15-1000(75)/2013

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 23 फरवरी, 2015

विषय- **शासनादेश संख्या-11/2015/34सी0डी0/46-3-15-1000(75)/2013, दिनांक 05 फरवरी, 2015 का संशोधन/शुद्धि-पत्र।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत/एस0सी0एस0पी0 मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राविधानित धनराशि रु0-200.00 लाख के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त (50 प्रतिशत्) की धनराशि रु0-100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-11/2015/34सी0डी0/46-3-15-1000(75)/2013, दिनांक 05 फरवरी, 2015 के द्वारा निर्गत की गयी है, जिसके **संलग्नक के पृष्ठ**-3 पर गोरखपुर मण्डल से संबंधित "योग मण्डल के" कालम नं0-10 में प्रदर्शित कुल योग "**रु0 434623**" लिपिकीय/टंकण त्रुटिवश अंकित हो गया है, जबकि उसका सही योग "**रु0 438623**" है।

2- अतः उपरोक्त लिपिकीय/टंकण त्रुटि को इस शुद्धि-पत्र के माध्यम से निवारित करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त वित्तीय स्वीकृति विषयक **शासनादेश संख्या-11/2015/34सी0डी0/46-3-15-1000(75)/2013, दिनांक 05 फरवरी, 2015 के संलग्नक के पृष्ठ-3 पर गोरखपुर मण्डल से संबंधित योग मण्डल के कालम नं0-10 में अंकित कुल योग के रुप में प्रदर्शित** "**रु0 434623"** के स्थान पर **"रु0 438623"** पढ़ा जाय। तदनुसार उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

क्रमश------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-13/2015/ 399(1)सी0डी0/46-3-15-1000(75)/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ।
4- गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
6- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
8- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
9- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
10- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
12- समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।